कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट
सोनभद्र – (उ0प्र0)

☎ 05446–252020 PIN Code: 231217 Email: dforkt@yahoo.co.in

पत्रांक– 2528 / रेनुकूट / 15–26 दिनांक,रेनुकूट,फरवरी, 14, ,2022

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक
मीरजापुर क्षेत्र
मीरजापुर ।

विषयः– जनपद–सोनभद्र के रेनुकूट वन प्रभाग अन्तर्गत मे0 हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लि0 रेनुकूट को 132 के0वी0 विद्युत पारेषण लाइन के खम्भे आदि लगाने हेतु पूर्व में पट्टे पर दी गयी 6.394 हे0 वन भूमि की लीज को पुनः 25 वर्षो हेतु दिनांक– 01.04.2022 से दिनांक– 31.03.2047 तक नवीनीकरण किये जाने के सम्बन्ध में ।

(ऑन लाईन नवीनीकरण प्रस्ताव संख्या–FP/UP/TRANS/140402/2021)

संदर्भः– मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ का पत्र संख्या–2038/11–सी, FP/UP/TRANS/140402/2021 लखनऊ दिनांक–06.01.2022

महोदय,

विषयगत प्रकरण में संदर्भित पत्र का अवलोकन करने की कृपा करें । प्रश्नगत प्रकरण में मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ के संदर्भित पत्र दिनांक– 06.01.2022 द्वारा लगायी गयी आपत्तियो का निम्नानुसार निराकरण कराते हुए प्रस्ताव की 3 प्रति इस पत्र के साथ संलग्न करते हुए संस्तुति सहित अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

क्र0सं0	मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्र संख्या–2038/11–सी, FP/UP/TRANS/140402/2021 लखनऊ दिनांक–06.01.2022 में अंकित बिन्दु	प्रभाग की अनुपालन आख्या
1	2	3
1	प्रस्ताव में संलग्न किया गया प्रस्तावित वनभूमि का 1:50000 माप का रंगीन टोपोशीट पठनीय व पूर्ण साइज का नहीं है।	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रस्तावित वनभूमि का 1:50000 माप का रंगीन टोपोशीट पठनीय व पूर्ण साइज का प्रस्ताव में संलग्न करा दिया गया है ।
2	प्रस्ताव में प्रस्तावित वनभूमि पर प्रस्तावित पारेषण लाइन के नीचे बौने (औषधीय) पौधों के वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों का अनुरक्षण सहित प्राक्कलन संलग्न नहीं किया गया है।	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि प्रश्नगत ट्रान्समिशन लाईन के नीचे पूर्व से प्राकृतिक एवं रोपित पौधे उपलब्ध है जिसमें पुनः बैने(औषधीय) पौधो का वनीकरण किया जाना नियमानसार संभव नही है । इस संबंध में प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न करा दिया गया है ।
3	प्रस्ताव में संलग्न किया गया क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल का 1:50000 माप का रंगीन टोपोशीट पठनीय व पूर्ण साइज का नहीं है। अतः पठनीय व पूर्ण साइज का 1:50000 माप का रंगीन टोपोशीट प्रस्ताव में संलग्न कर ऑनलाइनल भाग–2 में अपलोड करें।	इस बिन्दु के अनुपालन में क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल का 1:50000 माप का रंगीन टोपोशीट पठनीय व पूर्ण साइज का प्रस्ताव में संलग्न कराते हुए ऑनलाइन भाग–2 में अपलोड करा दिया गया है ।
4	गजट नोटिफिकेशन की प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा सत्यापित छायाप्रति संलग्न है किन्तु स्थल चिन्हित नहीं है।	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रश्नगत क्षेत्र को गजट नोटिफिकेशन में चिन्हित करते हुए प्रस्ताव में संलग्न करा दिया गया है ।
5	ऑनलाइन भाग–2 के क्रमांक–13(i) में क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि गलत फीड है। अतः सही धनराशि ऑनलाइन भाग–2 के क्रमांक–13(i) में फीड करें।	इस बिन्दु के अनुपालन मे क्षतिपूरक वनीकरण की धनराशि को ऑन लाईन भाग–2 के क्रमांक–13(i) में फीड करा दिया गया है ।

6	तीनों प्रस्तावों के साथ संलग्न पेन ड्राइव में पूर्ण प्रस्ताव की सभी अभिलेखों की अलग–अलग पी0डी0एफ0 फाइल अपलोड की गयी है जो कि त्रुटिपूर्ण है। अतः इसे पेन ड्राइव से डिलिट कर संशोधित प्रस्ताव की एक साथ पूर्ण प्रस्ताव की पी0डी0एफ0 फाइल जिसमें क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं प्रस्तावित स्थल की के0एम0एल0 फाइल भी हो, पेन ड्राइव में अपलोड कर प्रस्ताव के साथ संलग्न करें।	इस बिन्दु के अनुपालन में संशोधित पेनड्राइव प्रस्ताव में संलग्न करा दिया गया है ।

संलग्नकः–प्रस्ताव की 3 प्रति मूल में ।

भवदीय

(मनमोहन मिश्र)
प्रभागीय वनाधिकारी,
रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट

संख्या– अ/सम दिनांकित ।

प्रतिलिपिः श्री विवेक कुमार, हेड लीगल,मे0 हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लि0, रेनुकूट–सोनभद्र को उने पत्र दिनांक–02.02.2022 के क्रम में सूचनार्थ एवं इस आशय से प्रेषित कि उच्च स्तर पर सम्पर्क स्थापित करते हुए प्रस्ताव में प्रभावित वन भूमि के नवीनीकरण कराने के संबंध में अग्रेत्तर कार्यवाही स–समय करने का कष्ट करे ।

(मनमोहन मिश्र)
प्रभागीय वनाधिकारी,
रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट